

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-203/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० सुमन कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, टी० बी० एण्ड चेस्ट विभाग, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-29.07.2024 से 27.10.2024 तक कुल-91 (एककानवें) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-203/2025- 175(2) पटना, दिनांक 30/01/26

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/
प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना/विभागाध्यक्ष, टी० बी० एण्ड चेस्ट विभाग, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/
डा० सुमन कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, टी० बी० एण्ड चेस्ट विभाग, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।